संख्या-3/2016/36/38-6-16-07(एनआरएलएम)/2014

प्रेषक,

वी0हेकाली झिमोमी,

सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,

ग्राम्य विकास,

उ0प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक- मार्च ,2016

विषय:- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार से वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत/अवमुक्त केन्द्रांश की प्रथम किश्त के सापेक्ष अनुदान सं0-83(एससीएसपी मद) में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष परिवर्तित फण्डिंग पैटर्न के अनुसार अवशेष राज्यांश को अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के पत्रांक-52/372 आजीविका/लेखा-27/2015-16, दि0-07.01.2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत वार्षिक कार्ययोजना की स्वीकृति प्रदान की गई है जिसमें से केन्द्रांश के रूप में 75 प्रतिशत तथा राज्यांश के रूप में 25 प्रतिशत धनराशि निर्धारित की गई है। भारत सरकार के पत्र संख्या-जे0-12036/01/2015-आरएल(एनआरएलएम-8बी), दि0-06.08.2015 द्वारा केन्द्रांश की प्रथम किश्त की कुल धनराशि रू0-10,36,99,000.00(रूपये दस करोड, छत्तीस लाख, निन्यानबे हजार मात्र) के सापेक्ष अनुदान संख्या-83(एससीएसपी मद) में मैचिंग राज्यांश रू0-3,45,66,333.00 वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में एनआरएलएम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा की गई बजट व्यवस्था से केन्द्रांश एवं राज्यांश को सम्मिलित करते हुए रू0-13,82,65,333.00(रूपये तेरह करोड बयासी लाख पैंसठ हजार तीन सौ तैंतीस मात्र) की धनराशि आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति दी गई है।

2- भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत फण्डिंग पैटर्न परिवर्तित करते हुए 60:40 किए जाने के फलस्वरूप उक्त अवमुक्त केन्द्रांश की प्रथम किशत के सापेक्ष रू0-3,45,66,333.00 (रूपये तीन करोड पैतालिस लाख छाछठ हजार तीन सौ तैतीस मात्र) के अतिरिक्त/अवशेष राज्यांश की धनराशि को शासनादेश दि0-08.09.2015 में उल्लिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय एन.आर.एल.एम./एन.आर.एल.पी. के अन्तर्गत भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों एवं मानकों के अनुरूप ही किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम द्वारा प्रश्नगत योजना में वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक-30 मार्च, 2015 एवं समाज कल्याण/बजट प्रकोष्ठ), उ0प्र0 शासन के शासनादेश दिनांक-29 मार्च, 2014 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- आंकडों की शुद्धता का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम का होगा।

6- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-01-समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0102-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन-(के.75/रा.25 -के.+रा.)-27-सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2 के अशासकीय सं0-251/दस-ई-2, दि0-11 मार्च, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे है।

भवदीया,

(वी0हेकाली झिमोमी)
सचिव।

संख्या-3/2016/36(1)/38-6-2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय (स्किल डिवीजन), नई दिल्ली।
4- निदेशक, कोषागार/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- मुख्य लेखा परीक्षाअधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
6- मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम, गोमती नगर, लखनऊ।
7- अपर आयुक्त, लेखा, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-2/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9- ग्राम्य विकास अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4
10-बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण, उ0प्र0शासन।
11-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रभात कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in